हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- शैलेश खैरवा (आर. ए. एस.)

मुकदमा नम्बर 53/2015

1. खलील खां पुत्र रहमत खां नि० मारवर तह० व जिला झुंझुनूं
2. हकीम खां पुत्र स्व० आलम अली
3. मजीद खां पुत्र स्व० आलम अली
4. अजीज खां पुत्र स्व० आलम अली
5. रहीम खां पुत्र स्व० आलम अली
6. रज्जाक खां पुत्र स्व० आलम अली

जाति कायम खानी निवासीगण मारवर तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)

वादीगण

:- बनाम :-

1. अब्दुल गन्नी पुत्र स्व० लतीफ जाति कायमखानी निवासी
2. रशीद खां पुत्र स्व० लतीफ
3. मुजफ्फर खां पुत्र स्व० लतीफ
4. निसार खां पुत्र स्व० लतीफ
5. तालीब खां पुत्र स्व० लतीफ
6. श्रीमति सावली पत्नी स्व० लतीफ

निवासीगण मारवर तहसील व जिला - झुंझुनूं (राज०)

7. श्रीमति रचना देवी पत्नी विनोद कुमार जाति माली निवासी मारवर तहसील व जिला झुंझुनूं (राज०)।
8. राज० सरकार - द्वारा तहसीलदार तहसील झुंझुनूं

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण :-

1. इलियास खान वकील - वादीगण की ओर से -
2. नफीस अहमद खान वकील - प्रतिवादीगण की ओर से

" बाबत घोषणार्थ खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती "

निर्णय दिनांक 18/4/22

— 2 —

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(2)
	वाद वादीगण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादीगण न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27-1-20 के द्वारा डिक्री किया जाकर जमाबंदी संवत 2074-2077 ग्राम मावर तहसील झुंझुनूं की जमाबंदी संवत 2074-2077 के अनुसार खसरा नं० 47 तादादी 1.09 हैक्टेयर, खसरा नं० 48 तादादी 0.47 हैक्टेयर, खसरा नं० 54 तादादी 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं० 52 तादादी 0.93 हैक्टेयर, खसरा नं० 53 तादादी 0.77 हैक्टेयर, खसरा नं० 55 तादादी 1.83 हैक्टेयर, कुल किता 6 कुल रकबा 5.10 हैक्टेयर मौजा ग्राम मावर पटवार हल्का मावर वादीगण 1 लगा 6 व प्रतिवादीगण नं० 1 लगा 7 के मध्य मुताबिक मौका व रिकार्ड के अनुसार उचित बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार झुंझुनूं को 500/- रुपये मौका फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया गया कि वह उक्त आदेश अनुसार मौके पर पक्षकारों की मौजुदगी में बंटवारा कर विभाजन प्रस्ताव मय रिपोर्ट न्यायालय में पेश करें हेतु न्यायालय के पत्र क्रमांक कोर्ट/2020/127 दिनांक 12/3/20 के द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार झुंझुनूं ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2020/815 दिनांक 4/6/20 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया जाकर विभाजन प्रस्ताव पर ऐतराज/बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्तागण ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण अंतिम रूप से डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। हमने न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय व डिक्री दिनांक 27-1-2020 व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर गौर मनन किया गया। जिसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव न्यायालय के प्रारंभिक निर्णय व डिक्री के अनुसार होना जाहिर है अतः न्यायालय मत में वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार तो अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

दीवानी मूल 53/2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

(3)

नम्बर ... अहकाम ... हुक्म ... में ज...

दिनांक :-

आदेश

बाद बहीगत मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार मुण्डवा को आदेशित किया जाता है कि वह मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद कर पालना करे। खर्चा पक्षकारान अपना-2 वहन करें। तदनुसार फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली/फैसल शुदा होकर दर्ज रजिस्टर के कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18/4/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 18.04.2022

...अधिकारी

मूण्डवा (राज.)